

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/अ0-03-02/2018

पटना, दिनांक-

श्रीमती कुमारी रश्मि, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना की उनकी द्वितीय संतान के लिए बिहार सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-640, दिनांक-19.01.2015 के अनुसार बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220A के तहत दिनांक-03.03.2025 से 08.04.2025 तक कुल 37 (सैंतीस) दिनों का शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

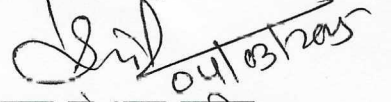
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-02/2018 1110

पटना, दिनांक- 05/03/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती कुमारी रश्मि, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।